न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 12/2025(GCMS 2025/65)

(आरटीआई संख्या)

सनमप्रीत सिंह पुत्र श्री जरनैल सिंह चक 6 टीके, पोस्ट ऑफिस मुकलावा तहसील रायसिंहनगर, जिला अनूपगढ़, राजस्थान – 335039 मोबाईल नं. 75686-22462

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

05.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सनमप्रीत सिंह दिनांक 04.03.2025 को स्वयं उपस्थित हुए, आज उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.12.2024 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सनमप्रीत सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.12.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न **दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी :**

1.	चावली देवी पत्नी बुधराम निवासी 4 जेकेएम अपात्र होने के बाद भी खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रही है, उनके पास खाद्य सुरक्षा नियम के मुताबिक [illegible] हेक्टेयर से अधिक भूमि है। अतः इनके अपात्र होने के कारण आवश्यक कार्रवाई कर, आज तक उठाई गई गेहूं की रिकवरी निकाल कर राजकोष में जमा करवाई जावे। अतः इनकी भूमि संबंधी दस्तावेज संलग्न किए जा रहे है।

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:49:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

2. अर्जुन राम पुत्र सोहनलाल निवासी 3 जेकेएम द्वारा अनुचित तरीके से बीपीएल राशन कार्ड बनवाकर खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लिया जा रहा है क्योंकि इनके पास भूमि होते हुए भी इनको बीपीएल की श्रेणी में रखा गया है। इसके दस्तावेज संलग्न किए जा रहे है। अतः इनका राशन कार्ड निरस्त कर, रिकवरी राशि निकाल कर राजकोष में जमा करवाई जावे।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलहशर ने अपने पत्रांक सूकाअ/2025/33 दिनांक 14.01.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना निम्नानुसार है:

क्र. सं.	चाही गई सूचना	जवाब
1	चावली देवी पत्नी बुधराम निवासी 4 जेकेएम अपत्र होने के बाद भी खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रही है, उनके पास खाद्य सुरक्षा नियम के मुताबिक एक हेक्टेयर से अधिक भूमि है। अतः इनके अपात्र होने के कारण आवश्यक कार्रवाई कर, आज तक उठाई गई गे[illegible] रिकवरी निकाल कर राजकोष में जमा करवाई जावे। अतः इनकी भूमि संबंधी दस्तावेज संलग्न किए जा रहे है।	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एफ के अनुसार सूचना देय है, जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध है और प्रश्नात्मक रूप से नहीं होनी चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:49:12 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

2	अर्जुन राम पुत्र सोहनलाल निवासी 3 जेकेएम द्वारा अनुचित तरीके से बीपीएल राशन कार्ड बनवाकर खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लिया जा रहा है क्योंकि इनके पास भूमि होते हुए भी इनको बीपीएल की श्रेणी में रखा गया है। इसके दस्तावेज संलग्न किए जा रहे है। अतः इनका राशन कार्ड निरस्त कर, रिकवरी राशि निकाल कर राजकोष में जमा करवाई जावे।	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एफ के अनुसार सूचना देय है, जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध है और प्रश्नात्मक रूप से नहीं होनी चाहिए।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है, **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से कर[illegible] करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम [illegible] "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है [illegible] जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:49:12 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी,** रायसिंहनगर द्वारा जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:49:12 IST
Reason: SelfAttested